



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5008]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940

No. 5008]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

(आयकर)

**का.आ. 6247(अ).**—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच 19 मार्च, 2018 को हांगकांग में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जैसाकि कि इस अधिसूचना के अनुबंध (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) में दिया गया है;

और जबकि, उक्त करार 30 नवंबर, 2018 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) में व्यवस्था है कि इस करार के उपबंध, भारत में, किसी कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

### अनुबंध

#### आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार के बीच करार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार, एक करार करने की इच्छा से इस प्रकार सहमत हुए हैं:

#### अनुच्छेद 1

#### शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी पक्षकारों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

#### अनुच्छेद 2

#### शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी पक्षकार अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय पर अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं:
  - (क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में,
    - (i) लाभ कर;
    - (ii) वेतन संबंधी कर; तथा
    - (iii) संपत्ति कर;
 व्यक्तिगत मूल्यांकनों के अंतर्गत भारत है अथवा नहीं
  - (ख) भारत के मामले में: आयकर, उस पर लगे किसी अधिप्रभार सहित
4. यह समझौता मौजूदा करों के स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त तथा पैरा 1 तथा 2 के भीतर आने वाले अन्य उन करों के साथ-साथ इसी प्रकार के अथवा पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के अन्य उन करों पर भी जो इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख के बाद लागू हुए अन्य उन करों जो भविष्य में कोई संविदाकारी पक्षकार लागू करता है, पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।
5. इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद लागू होने वाले करों के साथ-साथ मौजूदा करों को एतद्वारा "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर" अथवा "भारतीय कर", जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो, के रूप में संदर्भित किया जाएगा तथापि, "हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर" अथवा "भारतीय कर", शब्दों में किसी संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत लगाए जाने वाले दण्ड अथवा ब्याज अथवा शास्ति शामिल नहीं होंगे, उन करों के संबंध में जिन पर यह समझौता लागू होता है।

**अनुच्छेद 3****सामान्य परिभाषाएं**

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) (i) “हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र” का अर्थ कोई भी वह स्थान है जहां पर चीन जनवादी गणतंत्र के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून लागू होते हों।
- (ii) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून, पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;
- (ख) “कम्पनी” शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- (ग) “सक्षम प्राधिकारी” शब्द से अभिप्रेत है:
- (i) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ii) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;
- (घ) “संविदाकारी पक्षकार ” अथवा “अन्य संविदाकारी पक्षकार” का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अथवा भारत है, जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो;
- (ङ.) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के संबंध में शब्द “घरेलू कानून” का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के आंतरिक कानूनों से है;
- (च) “एक संविदाकारी पक्षकार का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी पक्षकार का उद्यम” शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;
- (छ) “अंतरराष्ट्रीय यातायात” शब्दों से अभिप्रेत है - एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन से है सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी पक्षकार के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- (ज) “राष्ट्रिक” शब्द का भारत के संबंध में अर्थ:
- (i) भारत की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति; और
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत भारत में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;
- (झ) “व्यक्ति” शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, कोई ट्रस्ट, कोई भागीदारी तथा व्यक्तियों के अन्य निकाय शामिल हैं, जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त करधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

- (ज) 'कर' शब्द का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर अथवा भारतीय कर, जैसा भी परिप्रेक्ष्य के अनुसार अपेक्षित हो, है;
- (ट) (i) भारत के मामले में शब्द 'वित्तीय वर्ष' का अर्थ किसी कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख को आरंभ होने वाले और आने वाले कैलेण्डर वर्ष में मार्च की इकतीस तारीख को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से है।
- (ii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में 'मूल्यांकन वर्ष' शब्द का अर्थ किसी वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से आरंभ होने वाले 12 माह की अवधि है।

2. किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस पक्षकार, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस पक्षकार में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस पक्षकार के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।

#### अनुच्छेद 4

##### निवासी

1. इस समझौते के उद्देश्यार्थ 'किसी संविदाकारी पक्षकार का आवासी' शब्द का अर्थ:

- (क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में,
- (i) कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रहता है;
- (ii) कोई व्यक्ति जो हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में किसी मूल्यांकन वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक अथवा मूल्यांकन के दो लगातार वर्षों, जिनमें से एक मूल्यांकन का संगत वर्ष है, में 300 दिनों से अधिक, की अवधि के लिए रहता है;
- (iii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निगमित कोई कंपनी अथवा, यदि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर निगमित हो, जिसका सामान्य रूप से प्रबंधन अथवा नियंत्रण हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में हों;
- (iv) अन्य कोई व्यक्ति जो हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानूनों के अंतर्गत अथवा यदि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर के कानूनों, जिनका हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रबंधन अथवा नियंत्रण होता हो, के अंतर्गत गठन हुआ हो;
- (ख) भारत के मामले में, कोई ऐसा व्यक्ति से है जो भारत के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही मानदंड की वजह से कराधेय हो। तथापि, इस शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल भारत में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर भारत में कर लगाया जा सकता है;
- (ग) प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के मामले में, उस पक्षकार की सरकार अथवा, अन्य राजनीतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी के मामले में।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी पक्षकारों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

- (क) उसे केवल उसी पक्षकार का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही पक्षकारों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह केवल उस पक्षकार का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- (ख) यदि उस पक्षकार का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो उसे केवल उस पक्षकार का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका पारंपरिक निवास हो;
- (ग) यदि दोनों पक्षकारों में उसका कोई आदतन निवास स्थान है अथवा उनमें से किसी में भी नहीं है, तो उसे केवल उस पक्षकार का ही निवासी होना माना जाएगा जिसमें उसे निवास का अधिकार है (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा जिसका वह राष्ट्रिक है (भारत के मामले में);
- (घ) यदि उसे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निवास का अधिकार है और वह भारत का राष्ट्रिक भी है, अथवा यदि उसे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में निवास का अधिकार नहीं है और न ही वह भारत का राष्ट्रिक है, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह करार द्वारा प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा सिवाए उस सीमा तक और ऐसी पद्धति में जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति बनती है।

3. जहां पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण से वैयक्तिक के अलावा कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी पक्षकारों का निवासी है, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से उस संविदाकारी पक्षकार को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे जिसका ऐसा व्यक्ति इसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान, वह स्थान जहां इसे निगमित किया गया है अथवा अन्यथा गठित किया गया है तथा अन्य दूसरे संगत कारकों का ध्यान रखते हुए, इस करार के प्रयोजनार्थ एक निवासी माना जाएगा। ऐसी सहमति की अनुपस्थिति में, वह करार द्वारा प्रदत्त किसी छूट अथवा रियायत का पात्र नहीं होगा सिवाए उस सीमा तक और ऐसी पद्धति में जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति बनती है।

### अनुच्छेद 5

#### स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।
2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :
- (क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ.) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई बिक्री केन्द्र;
- (छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;

- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों; और
- (झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. “स्थायी संस्थापन” शब्द में ये भी सम्मिलित हैं:

- (क) कोई भवन-स्थल, निर्माण, संयोजन अथवा अधिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, लेकिन केवल तभी यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छः महीने से अधिक समय तक चले;
- (ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं जहाँ उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी भी बारह महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए संविदाकारी पक्षकार के भीतर जारी रहते हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:

- (क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- (ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचनाएं एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- (च) उपपैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी पक्षकार में कार्य करता है, वहाँ उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी पक्षकार में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:

- (क) उस उद्यम के नाम से प्रथमोल्लिखित पक्षकार में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह पारंपरिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, को उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

- (ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी पारंपरिक रूप से प्रथमोल्लिखित पक्षकार में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो; या
- (ग) ऐसा प्राधिकार न रखता हो, किंतु उद्यम या इसके सहयोगी उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथमोल्लिखित संविदाकारी पक्षकार में पारंपरिक रूप से कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी पक्षकार में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस पक्षकार में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

7. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार की निवासी है अथवा जो उस दूसरे पक्षकार में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

### अनुच्छेद 6

#### अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी पक्षकार जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है, के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, पत्थर की खदानें स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान, नाव और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।
3. पैराग्राफ-2 में संदर्भित किसी संपत्ति अथवा अधिकार को वहां स्थित होना माना जाएगा जहां भूमि, स्थायी वन, खनिज संपदा, खदान, स्रोत अथवा प्राकृतिक संसाधन, जैसा भी मामला हो, स्थित हैं अथवा जहां कार्य किया जा सकता है।
4. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।
5. पैराग्राफ 1 और 4 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

### अनुच्छेद 7

#### कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस पक्षकार में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे पक्षकार में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी पक्षकार का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए, माने जाएंगे जिनके होने की अपेक्षा रहती, जब वह एक समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और वह उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उस पक्षकार के कानूनों के उपबंधों के अध्यक्षीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अनुसार किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।
4. जहां तक किसी उपक्रम के कुल लाभ को इसके विभिन्न भागों को संविभाजन के आधार पर स्थायी संस्थापन को आरोपित होने वाले लाभों को निर्धारित करना, अथवा उस पक्षकार के कानूनों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दूसरी पद्धति के आधार पर निर्धारित करना, संविदाकारी पक्षकारों में एक प्रथा रही है, पैराग्राफ-2 में कुछ भी उस संविदाकारी पक्षकार को ऐसे संविभाजन द्वारा अथवा अन्य पद्धति से कर लगाए जाने वाले लाभों का निर्धारण करने से नहीं रोक सकता; तथापि, अपनाई गई पद्धति ऐसी होगी कि इसके परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धान्तों के अनुरूप होंगे।
5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

### अनुच्छेद 8

#### जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जाएगा।
2. पैराग्राफ-1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के संचालन से दूसरे संविदाकारी पक्षकार में प्राप्त किए गए एक संविदाकारी पक्षकार के उपक्रम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार में भी कर लगाया जा सकता है, परन्तु उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार में लगाया गया कर उसके 50 प्रतिशत के बराबर राशि तक कम किया जाएगा।
3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में समुद्री जहाजों अथवा वायुयान के संचालन से लाभ में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में व्यक्तियों, पशुधन, वस्तुओं, डाक अथवा माल के परिवहन के लिए जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से, जिसमें टिकटों की बिक्री से प्राप्त की गई आय तथा ऐसे परिवहन से जुड़ी सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं चाहे स्वयं उपक्रम के लिए अथवा किसी दूसरे उपक्रम के लिए, राजस्व एवं सकल प्राप्तियां बशर्ते सेवाओं के प्रावधान के मामले में, ऐसा प्रावधान अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के संचालन के लिए प्रासंगिक है;



- (ख) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्रत्यक्षतः जुड़ी निधियों पर ब्याज;
- (ग) एक उपक्रम द्वारा कंटेनरों के लीज से लाभ जब ऐसी लीज अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन के लिए प्रासंगिक है।

### अनुच्छेद 9

#### सहयोगी उद्यम

1. जहां
- (क) एक संविदाकारी पक्षकार का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) ये ही व्यक्ति, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी पक्षकार उस पक्षकार के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा पक्षकार उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

### अनुच्छेद 10

#### लाभांश

1. एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगे।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी पक्षकार का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।  
यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य कोर्पोरेट अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस पक्षकार के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे पक्षकार में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के

स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा पक्षकार कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अद्वितीय लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अद्वितीय लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे पक्षकार में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

6. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि इन शेरों या अन्य अधिकारों के सृजन अथवा आवंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आवंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

### अनुच्छेद 11

#### ब्याज

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस पक्षकार में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत ब्याज पर उस पक्षकार में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते उसे निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा गया हो:

- (क) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
- (ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक;
- (ii) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, हांगकांग धन संबंधी प्राधिकरण तथा विनिमय निधि; अथवा
- (ग) कोई अन्य संस्थान जिस पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों। विलंब से की गई अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को उस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में जिसमें ब्याज प्रोदभूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी पक्षकार में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस पक्षकार में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

8. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि ऋण दावों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आबंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में ब्याज का भुगतान किया जाता है।

## अनुच्छेद 12

### रायल्टियां

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गयी राँयल्टियां उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होंगी।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी और उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस पक्षकार में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टी की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुम फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

4. पैराग्राफ 1, और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि राँयल्टियों का हितभागी स्वामी जो संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में जिसमें राँयल्टियां प्रोदभूत हुई हों, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के बारे में राँयल्टियां अदा की गयी हों वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. राँयल्टियां किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, यदि ब्याज अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी पक्षकार में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रायल्टी प्रदत्त की गई थी, इस प्रकार की रायल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है, तो इस प्रकार की रायल्टी उस पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई रॉयल्टी की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि इन रॉयल्टियों या अन्य अधिकारों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उस सृजन अथवा आबंटन से इन अनुच्छेदों का लाभ लेना है जिनके बारे में रॉयल्टियों का भुगतान किया जाता है।

### अनुच्छेद-13

#### तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. किसी संविदाकारी पक्षकार में उत्पन्न और दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गयी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस दूसरे पक्षकार में कराधेय होगी।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी पक्षकार में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस पक्षकार के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाओं हेतु प्रतिफल के रूप में किसी किस्म के भुगतान से है जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से शामिल है, परन्तु इसमें इस करार के क्रमशः अनुच्छेद 15 तथा 16 में यथा उल्लिखित स्वावलम्बी वैयक्तिक सेवाओं तथा परावलम्बी वैयक्तिक सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी पक्षकार में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएगी, यदि अदा करने वाला उस पक्षकार का निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी पक्षकार का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी पक्षकार में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस पक्षकार में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्रयोग, अधिकार या सूचनाएं जिसके संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे

मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगता रहेगा।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि सेवाओं के निष्पादन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उन सेवाओं के निष्पादन से इस अनुच्छेद का लाभ लेना है जिसके बारे में तकनीकी फीस अदा की जाती है।

### अनुच्छेद-14

#### पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, जिसका वह विक्रेता निवासी है।

4. दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित अचल संपत्ति से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः इसकी परिसंपत्ति मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाली कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण से एक संविदाकारी पक्षकार के निवासी द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों पर उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकता है।

5. किसी कंपनी, जो संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, पर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित के अलावा शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस पक्षकार में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 एवं 5 में उल्लिखित उस संपत्ति के अलावा किसी संपत्ति के हस्तांतरण से अभिलाभों पर प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार में उसके घरेलू कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है।

7. इस अनुच्छेद के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे यदि संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन उन पूँजीगत लाभों से इस अनुच्छेद का लाभ लेना है जिनके बारे में हस्तांतरण किया जाता है।

### अनुच्छेद-15

#### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार में भी कर लगाया जा सकेगा:

(क) यदि उसका अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी पक्षकार में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे पक्षकार में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी पक्षकार में उसके निवास का समय कर निर्धारण वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा

संबंधित राजकोषीय वर्ष (भारत के मामले में) जो कुल 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों अथवा इससे अधिक के लिए है; तो उस स्थिति में, केवल उतनी ही आय पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकता है जिसे उस दूसरे पक्षकार में निष्पादित उसके कार्यकलापों से अर्जित किया गया है।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, शल्य-चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

### अनुच्छेद 16

#### निर्भर वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी पक्षकार में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी पक्षकार में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे पक्षकार में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित पक्षकार में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

- (क) प्राप्तकर्ता कर निर्धारण वर्ष में शुरू होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह माह की अवधि (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) अथवा संबंधित राजकोषीय वर्ष में (भारत के मामले में) कुल 183 दिन से कम की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे पक्षकार में मौजूद है, तथा
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे पक्षकार का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे पक्षकार में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, केवल उस पक्षकार में कराधेय होगा।

### अनुच्छेद-17

#### निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

### अनुच्छेद-18

#### कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए इस प्रकार के वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी पक्षकार में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी संविदाकारी पक्षकार में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी पक्षकार में किए गए कार्य-कलाप एक या दोनों संविदाकारी पक्षकारों या उसके राजनैतिक उपप्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों। ऐसे मामले में, उस आय पर केवल उसी संविदाकारी पक्षकार में कर लगेगा जिसका वह मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

### अनुच्छेद 19

#### पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, किसी संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा की गई पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक (एकमुश्त भुगतान सहित), चाहे उस पेंशन या पारिश्रमिक का भुगतान पिछले रोजगार के लिए किया गया हो, केवल उस पक्षकार में कर योग्य होगा।

2. पैरा 1 के प्रावधानों के बावजूद, पेंशन या सेवानिवृत्ति योजना के तहत, जो एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ को सुरक्षित करने के लिए भागीदार बन सकते हैं और जिसे किसी संविदाकारी पक्षकार में कर उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक (एकमुश्त भुगतान सहित) केवल उस संविदाकारी पक्षकार में कर योग्य होंगे।

### अनुच्छेद 20

#### सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी पक्षकार की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस पक्षकार अथवा राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी पक्षकार में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी पक्षकार में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस पक्षकार में की जाती हैं और व्यक्ति उस पक्षकार का एक निवासी हो, जो:

(i) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, उसमें निवास का अधिकारी है और भारत के मामले में, भारत का राष्ट्रिक है; या

(ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. किसी संविदाकारी पक्षकार की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस पक्षकार अथवा राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई, अथवा सृजित अथवा संवितरित निधि में से अदा की गई पेंशन (एकमुश्त भुगतान सहित) पर केवल उसी पक्षकार में ही कर लग सकेगा।

3. अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19 के उपबंध, किसी संविदाकारी पक्षकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन (एकमुश्त भुगतान सहित) पर लागू होंगे।

**अनुच्छेद 21****विद्यार्थी**

वे भुगतान, जिन्हें कोई विद्यार्थी जो किसी संविदाकारी पक्षकार का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी पक्षकार का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित पक्षकार में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण अथवा शिक्षा के प्रयोजनार्थ प्राप्त करता है, उसे उस पक्षकार में कर से छूट होगी, बशर्ते ऐसी अदायगियां उस पक्षकार के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती हों।

**अनुच्छेद 22****अन्य आय**

1. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस पक्षकार में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी पक्षकार का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी पक्षकार में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे पक्षकार में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे पक्षकार में भी कर लगेगा।

**अनुच्छेद 23****दोहरे कराधान के निरसन की विधि**

दोहरे कराधान को इस प्रकार से समाप्त किया जाएगा:

1. भारत में:
  - (क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है, भारत वहां उस निवासी की आय पर कर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अदा किए गए कर के बराबर राशि की छूट की अनुमति देगा।  
तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में कर लगाया जा सकता है।
  - (ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, भारत वहां फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।
2. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:
 

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के प्रति क्रेडिट की स्वीकृति से सम्बंधित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानूनों के उपबंधों के शर्ताधीन(जो इस अनुच्छेद के सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा), भारत के कानूनों और इस करार के अनुसार अदा किया गया भारतीय कर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या कटौती के द्वारा, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के किसी निवासी व्यक्ति



द्वारा भारत के स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में, उस आय के सम्बंध में देय हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के हिसाब से क्रेडिट के रूप में अनुमत होगा, बशर्ते इस तरह का स्वीकृत क्रेडिट हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कर कानूनों के अनुसार उस आय के संबंध में संगणित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर की राशि से अधिक न हो।

### अनुच्छेद 24

#### गैर-भेदभाव

1. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में, जिन लोगों को निवास का अधिकार है या वे निगमित हैं या अन्यथा इसमें गठित हैं, और, भारत के मामले में, राष्ट्रिक हैं, अन्य संविदाकारी पक्षकार में किसी कराधान या इससे जुड़ी किसी भी आवश्यकता के लिए शर्ताधीन नहीं होंगे, जो कराधान और इससे जुड़ी उन जरूरतों के मुकाबले अन्य या अधिक बोझिल हैं, जो सदृश परिस्थितियों में, विशेषकर निवास के सम्बंध में, उस दूसरे पक्षकार में निवास के अधिकारी हैं या जो निगमित हैं या जिन्हें अन्यथा गठित किया गया है (जहां वह अन्य पक्षकार हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है) या उस अन्य पक्षकार के राष्ट्रिक (जहां वह दूसरा पक्षकार भारत है) हैं, के शर्ताधीन हैं या हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी पक्षकारों के निवासी नहीं हैं।
2. एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी पक्षकार में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे पक्षकार में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे पक्षकार के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी पक्षकार के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी पक्षकार के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये प्रावधान किसी संविदाकारी पक्षकार को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम के स्थाई संस्थापन के लाभों पर कर की उस दर को लगाने से रोकते हैं, जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार की समान कम्पनी के लाभों पर लगाई गई उन करों की दर से अधिक हों और न ही इसका अर्थ अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल होना समझा जाएगा।
3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी पक्षकार के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित पक्षकार के किसी निवासी को किया गया हो।
4. एक संविदाकारी पक्षकार के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी पक्षकार के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित पक्षकार में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित पक्षकार के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

### अनुच्छेद 25

#### पारस्परिक करार की विधि

1. जहां कोई व्यक्ति मानता है कि एक या दोनों संविदाकारी पक्षकारों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसके लिए कराधान सम्बंधी नतीजे इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं या नहीं होंगे, वह, उन पक्षकारों के घरेलू कानूनों द्वारा प्रदत्त उपायों के बावजूद, अपने मामले को उस संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है या यदि उसका मामला उस संविदाकारी पक्षकार के अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है जिसमें उसे निवास का अधिकार है या वह निगमित है या अन्यथा गठित है (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में) या जिसका वह

एक राष्ट्रिक है (भारत के मामले में)। इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी पक्षकारों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।
3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे दोहरे कराधान को दूर करने के लिए, उन मामलों में, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गयी है, एक दूसरे से भी परामर्श कर सकते हैं।
4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं जिसमें खुद उनके द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधियों से बनी संयुक्त समिति शामिल है।

### अनुच्छेद 26

#### सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी पक्षकारों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में संविदाकारी पक्षकारों के घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2. संविदाकारी पक्षकार द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस पक्षकार के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने से संबंधित हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों पक्षकारों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी पक्षकार पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:
  - (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
  - (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
  - (ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।
4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी पक्षकार अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचनाएं एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे पक्षकार को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचनाओं की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी

सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी पक्षकार केवल इसलिए सूचनाओं की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचनाओं में उस पक्षकार का कोई कर हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचनाओं की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी पक्षकार को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचनाएं किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

### अनुच्छेद 27

#### सरकारी मिशनों के सदस्य

इस करार की किसी बात से अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत सरकारी मिशन अथवा कौंसुली पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुच्छेद 28

#### विविध नियमावलियां

1. इस करार के उपबंध किसी भी स्थिति में एक संविदाकारी पक्षकार को कर परिहार अथवा अपवंचन के संबंध में अपने स्वदेशी कानून एवं उपायों के उपबंधों को लागू करने से नहीं रोकेंगे, चाहे इस तरह वर्णित हो अथवा नहीं।
2. किसी संविदाकारी पक्षकार को करार के तहत लाभ देने की आवश्यकता नहीं है अगर संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से कोई एक कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से गैर-कराधान अथवा कम किए गए कराधान से सम्बंधित है (तीसरे क्षेत्राधिकारों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु करार में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित)।
3. विधिक हस्तियों के मामलों को भी, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों में शामिल किया जाएगा।

### अनुच्छेद 29

#### प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति के बारे में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा।
3. इस करार के उपबंधों का उसके बाद निम्नानुसार प्रभाव होगा:
  - (क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:  
हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के संबंध में, जिस तारीख को करार लागू होता है, उसके बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए;
  - (ख) भारत में:  
जिस वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

### अनुच्छेद 30

#### समापन

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा जब तक कोई एक संविदाकारी पक्षकार इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले दूसरे संविदाकारी पक्षकार को समापन की लिखित नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में:

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर के संबंध में, जिस तारीख को नोटिस दिया गया है, उसके बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए;

(ख) भारत में:

जिस वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हांगकांग में मार्च, 2018 की 19 वीं तारीख को चायनीज, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार के लिए

हस्ताक्षरित/-

(गौतम बम्बावले)

भारत के राजदूत, बीजिंग

चीन जनवादी गणराज्य के

विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

हांगकांग की सरकार के लिए

हस्ताक्षरित/-

(पॉल चान मो-पो)

वित्त सचिव, हांगकांग

### प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार ("करार") पर हस्ताक्षर करने के समय दोनों सरकारों निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुई हैं, जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे:

1. करार के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के संबंध में, "सामान्य रूप से निवास करता है" और "सामान्य रूप से प्रबंधित या नियंत्रित" पदों का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन सामान्य सिद्धांत को प्रभावित किए बिना समय-समय पर यथा संशोधित अर्थ से है।

उपर्युक्त के अलावा, करार के अनुच्छेद 4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) के खंड (i) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि एक व्यक्ति सामान्यतः हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रहता है यदि उस व्यक्ति की हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में पर्याप्त उपस्थिति है, उसका स्थायी घर या अभ्यस्त निवास है, और उसके हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के साथ व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, करार के अनुच्छेद 4 (निवासी) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) के खंड (iii) और (iv) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि निगमित कोई भी कम्पनी या हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बाहर गठित अन्य कोई व्यक्ति सामान्यतः हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में प्रबंधित या नियंत्रित किया जाता है, यदि उसके कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी कंपनी या व्यक्ति के लिए सामरिक, वित्तीय और परिचालन नीतियों के सम्बंध में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, और कंपनी या व्यक्ति के कर्मचारी वे निर्णय लेने के लिए आवश्यक दैनिक गतिविधियों को हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में संचालित करते हैं।

2. करार के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बंध में, "आवास का अधिकार" पद का अर्थ हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कानून के अधीन सामान्य सिद्धांत को प्रभावित किए बिना समय-समय पर यथा संशोधित अर्थ से है।

3. करार के अनुच्छेद 2 (शामिल कर) के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बंध में "जुमाना या ब्याज" पद के अर्थ में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कर में डिफॉल्ट के कारण जोड़ी गई और वसूली गई कोई भी राशि तथा अंतर्देशीय राजस्व अध्यादेश (हांगकांग के कानूनों का अध्याय 112) की धारा 82 के तहत "अतिरिक्त कर" शामिल हैं।

4. करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (क) के खंड (i) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि "कोई भी स्थान जहां पर चीन जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के कर कानून लागू होते हैं" पद का अर्थ चीन जनवादी गणराज्य के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, शेन्जेन बे पोर्ट हांगकांग पोर्ट एरिया के साथ, की सीमा में शामिल भूमि और समुद्र को संदर्भित करता है।

5. करार के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) के संदर्भ में, यह समझा जाता है कि:

(क) आदान-प्रदान की गई सूचनाएं किसी भी तीसरे क्षेत्राधिकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(ख) भारतीय सक्षम प्राधिकारी इनको सूचना प्रकट कर सकते हैं:

(i) संसदीय समितियों को

(ii) सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को; और

(iii) किसी भी अन्य निरीक्षक निकायों को जिन पर पारस्परिक रूप से लिखित में सहमति हुई हो।

(ग) अनुरोधित संविदाकारी पक्षकार कोई भी वह जानकारी प्रकट करेगा जो उस तिथि से पूर्व की हो जिस तिथि को करार द्वारा शामिल करें पर करार प्रभावी होगा, जहां तक जानकारी उस तिथि के बाद किसी वित्तीय वर्ष या कर योग्य घटना के लिए निकट भविष्य में प्रासंगिक है।

(घ) करार द्वारा शामिल करें के अतिरिक्त, इस अनुच्छेद के उपबंध निम्नलिखित करें पर भी लागू होंगे जिन्हें भारत में प्रशासित और लागू किया जाता है:

(i) धनकर;

(ii) उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क;

(iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी); और

(iv) बिक्री एवं मूल्य संवर्धित कर।

6. यह समझा जाता है कि संविदाकारी पक्षकार दोनों में से किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर समझौते के उपबंधों की समीक्षा कर सकते हैं।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

हांगकांग में मार्च, 2018 की 19 वीं तारीख को चायनीज, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के
की सरकार के लिए	विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग
	की सरकार के लिए
हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
(गौतम बम्बावले)	(पॉल चान मो-पो)
भारत के राजदूत, बीजिंग	वित्त सचिव, हांगकांग

[अधिसूचना सं. 89/2018/फा.सं. 500/124/97-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2018

**(INCOME TAX)**

**S.O. 6247(E).**—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Hong Kong Special Administrative Region of People's Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was signed at Hong Kong on the 19th March, 2018 as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the Agreement);

And whereas, the said Agreement entered into force on the 30th day of November, 2018, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 29 of the said Agreement;

And whereas, sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article 29 of the said Agreement provides that the provisions of the Agreement shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

**ANNEXURE**

**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF  
THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA**

**FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION**

**AND**

**THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON  
INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

**Article 1****Persons Covered**

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting Parties.

**Article 2****Taxes Covered**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting Party or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:
  - (a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,
    - (i) profits tax;
    - (ii) salaries tax; and
    - (iii) property tax;
 whether or not charged under personal assessment;
  - (b) in the case of India, the income tax, including any surcharge thereon.
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes, as well as any other taxes falling within paragraphs 1 and 2 which a Contracting Party may impose in future. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.
5. The existing taxes, together with the taxes imposed after the signature of the Agreement, are hereinafter referred to as “Hong Kong Special Administrative Region tax” or “Indian tax”, as the context requires. However, the term “Hong Kong Special Administrative Region tax” or “Indian tax” shall not include any penalty or interest or fine imposed under the laws of either Contracting Party relating to the taxes to which the Agreement applies.

**Article 3****General Definitions**

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
  - (a)
    - (i) the term “Hong Kong Special Administrative Region” means any place where the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China apply;
    - (ii) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea;
  - (b) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
  - (c) the term “competent authority” means:
    - (i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region: the Commissioner of Inland Revenue or his authorized representative;
    - (ii) in the case of India: the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative;
  - (d) the term “Contracting Party” or “the other Contracting Party” means the Hong Kong Special Administrative Region or India, as the context requires;
  - (e) the term “domestic law”, in relation to the Hong Kong Special Administrative Region means the internal law of the Hong Kong Special Administrative Region;

- (f) the terms “enterprise of a Contracting Party” and “enterprise of the other Contracting Party” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting Party and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting Party;
- (g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting Party;
- (h) the term “national”, in relation to India means:
  - (i) any individual possessing the nationality of India; and
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in India;
- (i) the term “person” includes an individual, a company, a trust, a partnership and any other body of persons which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
- (j) the term “tax” means Hong Kong Special Administrative Region tax or Indian tax, as the context requires;
- (k)
  - (i) the term “year of assessment”, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, means the period of 12 months commencing on the first day of April in any year;
  - (ii) the term “fiscal year”, in the case of India, means the financial year commencing on the first day of April in one calendar year and ending on the thirty-first day of March in the following calendar year.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

#### **Article 4**

##### **Resident**

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting Party” means:
  - (a) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,
    - (i) any individual who ordinarily resides in the Hong Kong Special Administrative Region;
    - (ii) any individual who stays in the Hong Kong Special Administrative Region for more than 180 days during a year of assessment or for more than 300 days in two consecutive years of assessment one of which is the relevant year of assessment;
    - (iii) a company incorporated in the Hong Kong Special Administrative Region or, if incorporated outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;
    - (iv) any other person constituted under the laws of the Hong Kong Special Administrative Region or, if constituted outside the Hong Kong Special Administrative Region, being normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region;
  - (b) in the case of India, any person who, under the laws of India, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in India in respect only of income from sources in India;
  - (c) in the case of either Contracting Party, the Government of that Party, or any political subdivisions or local authorities thereof.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting Parties, then his status shall be determined as follows:
  - (a) he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);



- (b) if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has the right of abode (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region) or of which he is a national (in the case of India);
- (d) if he has the right of abode in the Hong Kong Special Administrative Region and is also a national of India, or if he does not have the right of abode in the Hong Kong Special Administrative Region nor is he a national of India, the competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, he shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting Parties, the competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Party of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties.

### Article 5

#### Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
  - (a) a place of management;
  - (b) a branch;
  - (c) an office;
  - (d) a factory;
  - (e) a workshop;
  - (f) a sales outlet;
  - (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
  - (h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and
  - (i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term “permanent establishment” also encompasses:
  - (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months;
  - (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting Party for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
  - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
  - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contracting Party on behalf of an enterprise of the other Contracting Party, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting Party in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- (a) has and habitually exercises in the first-mentioned Contracting Party an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Party a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) has no such authority, but habitually secures orders in the first-mentioned Contracting Party, wholly or almost wholly for the enterprise or its associated enterprise.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Party merely because it carries on business in that Party through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting Party controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting Party, or which carries on business in that other Party (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### **Article 6**

##### **Income from Immovable Property**

1. Income derived by a resident of a Contracting Party from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting Party in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, quarries, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. Any property or right referred to in paragraph 2 shall be regarded as situated where the land, standing timber, mineral deposits, quarries, sources or natural resources, as the case may be, are situated or where the working may take place.

4. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

5. The provisions of paragraphs 1 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### **Article 7**

##### **Business Profits**

1. The profits of an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party unless the enterprise carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Party but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting Party carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting Party be

attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Party in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of the tax laws of that Party.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting Party to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, or on the basis of such other method as may be prescribed by the laws of that Party, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting Party from determining the profits to be taxed by such apportionment or other method; the method adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

### **Article 8**

#### **Shipping and Air Transport**

1. Profits of an enterprise of a Contracting Party from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Party.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits of an enterprise of a Contracting Party derived in the other Contracting Party from the operation of ships in international traffic may also be taxed in the other Contracting Party, but the tax imposed in that other Contracting Party shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include in particular:

- (a) revenues and gross receipts from the operation of ships or aircraft for the transport of persons, livestock, goods, mail or merchandise in international traffic, including income derived from the sale of tickets and the provision of services connected with such transport whether for the enterprise itself or for any other enterprise, provided that in the case of provision of services, such provision is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
- (b) interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic;
- (c) profits from the lease of containers by the enterprise, when such lease is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

### **Article 9**

#### **Associated Enterprises**

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting Party, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting Party and an enterprise of the other Contracting Party,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting Party includes in the profits of an enterprise of that Party - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made

between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and for this purpose the competent authorities of the Contracting Parties shall if necessary consult each other.

#### **Article 10**

##### **Dividends**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Party of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting Party derives profits or income from the other Contracting Party, that other Party may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Party or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Party, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Party.

6. The benefits of this Article shall not be available if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividends are paid is to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

#### **Article 11**

##### **Interest**

1. Interest arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting Party in which it arises and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting Party shall be exempt from tax in that Party provided that it is derived and beneficially owned by:

- (a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting Party; or
- (b) (i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Hong Kong Monetary Authority and the Exchange Fund;  
(ii) in the case of India, the Reserve Bank of India and the Export-Import Bank of India; or
- (c) any other institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting Parties.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Party in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reasons, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

8. The benefits of this Article shall not be available if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid is to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

## **Article 12**

### **Royalties**

1. Royalties arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting Party in which they arise, and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting Party, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting Party in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties exceeds, for whatever reasons, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

7. The benefits of this Article shall not be available if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid is to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

## **Article 13**

### **Fees for Technical Services**

1. Fees for technical services arising in a Contracting Party and paid to a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting Party in which they arise, and according to the laws of that Party, but if the beneficial owner of the fees for technical services is a resident of the other Contracting Party the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any kind as consideration for managerial, technical or consultancy services, including through the provision of services of technical or other personnel, but does not include payments for independent personal services and for dependent personal services as mentioned in Articles 15 and 16 respectively of this Agreement.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party in which the fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting Party when the payer is a resident of that Party. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting Party or not, has in a Contracting Party a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting Party in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting Party, due regard being had to the other provisions of the Agreement.

7. The benefits of this Article shall not be available if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with performance of services in respect of which the technical fees are paid is to take advantage of this Article by means of such performance of services.

#### **Article 14**

##### **Capital Gains**

1. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting Party in the other Contracting Party for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Party.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting Party of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting Party from the alienation of shares of a company deriving more than 50 per cent of its asset value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting Party may be taxed in that Party.

6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, may be taxed in each Contracting Party in accordance with the provisions of its domestic law.

7. The benefits of this Article shall not be available if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the alienation of property in respect of which the capital gains are derived is to take advantage of this Article by means of that alienation.

#### **Article 15**

##### **Independent Personal Services**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting Party from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Party except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting Party:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting Party for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Party; or
- (b) if his stay in the other Contracting Party is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the year of assessment (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region) or fiscal year (in the case of India) concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Party may be taxed in that other Party.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

#### **Article 16**

##### **Dependent Personal Services**

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Contracting Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting Party in respect of an employment exercised in the other Contracting Party shall be taxable only in the first-mentioned Party if:
  - (a) the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the year of assessment (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region) or fiscal year (in the case of India) concerned, and
  - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party, and
  - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Party.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting Party shall be taxable only in that Party.

#### **Article 17**

##### **Directors' Fees**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting Party in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting Party may be taxed in that other Party.

#### **Article 18**

##### **Artistes and Sportspersons**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting Party as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from personal activities as such exercised in the other Contracting Party, may be taxed in that other Party.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting Party in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activities performed in a Contracting Party by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting Parties or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting Party of which the entertainer or sportsperson is a resident.

#### **Article 19**

##### **Pensions**

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration (including a lump sum payment) paid to a resident of a Contracting Party, regardless of whether such pension or remuneration is paid in consideration of past employment, shall be taxable only in that Party.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration (including a lump sum payment) made under a pension or retirement scheme, which is a scheme in which individuals may participate to secure retirement benefits and which is recognised for tax purposes in a Contracting Party, shall be taxable only in that Contracting Party.

#### **Article 20**

##### **Government Service**

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting Party or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or its political subdivision or local authority shall be taxable only in that Party.
- (b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who:
  - (i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, has the right of abode therein and in the case of India, is a national of India; or
  - (ii) did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

2. Any pension (including a lump sum payment) paid by, or paid out of funds created or contributed by, the Government of a Contracting Party or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or its political subdivision or local authority shall be taxable only in that Party.

3. The provisions of Articles 16, 17, 18 and 19 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions (including a lump sum payment) in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting Party or a political subdivision or a local authority thereof.

#### **Article 21**

##### **Students**

Payments which a student who is or was immediately before visiting a Contracting Party a resident of the other Contracting Party and who is present in the first-mentioned Party solely for the purpose of his education receives for the purpose of his maintenance or education shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

#### **Article 22**

##### **Other Income**

1. Items of income of a resident of a Contracting Party, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting Party, carries on business in the other Contracting Party through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Party independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting Party not dealt with in the foregoing Articles of the Agreement and arising in the other Contracting Party may also be taxed in that other Party.

#### **Article 23**

##### **Methods for Elimination of Double Taxation**

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. in the Hong Kong Special Administrative Region:

Subject to the provisions of the laws of the Hong Kong Special Administrative Region relating to the allowance of a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax of tax paid in a jurisdiction outside the Hong Kong Special Administrative Region (which shall not affect the general principle of this Article), Indian tax paid under the laws of India and in accordance with the Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of the Hong Kong Special Administrative Region from sources in India, shall be allowed as a credit against Hong Kong Special Administrative Region tax payable in respect of that income, provided that the credit so



allowed does not exceed the amount of Hong Kong Special Administrative Region tax computed in respect of that income in accordance with the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region.

2. in India:

- (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Hong Kong Special Administrative Region, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in the Hong Kong Special Administrative Region.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the Hong Kong Special Administrative Region.

- (b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

#### Article 24

##### Non-Discrimination

1. Persons who, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted therein, and, in the case of India, are nationals, shall not be subjected in the other Contracting Party to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which persons who have the right of abode or are incorporated or otherwise constituted in that other Party (where that other Party is the Hong Kong Special Administrative Region) or nationals of that other Party (where that other Party is India) in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting Parties.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting Party has in the other Contracting Party shall not be less favourably levied in that other Party than the taxation levied on enterprises of that other Party carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting Party to grant to residents of the other Contracting Party any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting Party from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting Party has in the first mentioned Party at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting Party, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 3 of Article 13, apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting Party to a resident of the other Contracting Party shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Party.

4. Enterprises of a Contracting Party, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting Party, shall not be subjected in the first-mentioned Party to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Party are or may be subjected.

#### Article 25

##### Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Contracting Party of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting Party in which he has the right of abode or is incorporated or otherwise constituted (in the case of the Hong Kong Special Administrative Region) or of which he is a national (in the case of India). The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Parties.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

#### **Article 26**

##### **Exchange of Information**

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic law of the Contracting Parties concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting Parties, or of their political subdivisions or local authorities as covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting Party shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting Party may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Parties and the competent authority of the supplying Party authorizes such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting Party;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting Party;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting Party in accordance with this Article, the other Contracting Party shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Party may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because there is no tax interest in such information to that Party.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting Party to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

#### **Article 27**

##### **Members of Government Missions**

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of government missions, including consular posts, under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### **Article 28**

##### **Miscellaneous Rules**

1. The provisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting Party from the application of the provisions of its domestic law and measures concerning tax avoidance or evasion, whether or not described as such.

2. A Contracting Party is not required to grant benefits under the Agreement if the main purpose or one of the main purposes of any persons concerned is for the non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions).

3. Cases of legal entities not having bona fide business activities shall also be covered by the provisions of this Article.

**Article 29****Entry into Force**

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.
2. The Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of the Agreement shall thereupon have effect:
  - (a) in the Hong Kong Special Administrative Region:
 

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of April following the date on which the Agreement enters into force;
  - (b) in India:
 

in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Agreement enters into force.

**Article 30****Termination**

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving the other Contracting Party written notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in the Hong Kong Special Administrative Region:
 

in respect of Hong Kong Special Administrative Region tax, for any year of assessment beginning on or after the first day of April following the date on which the notice is given;
- (b) in India:
 

in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April following the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Hong Kong this 19th day of March 2018, in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of India

Sd/-  
(Gautam Bambawale)  
Ambassador of India, Beijing

For the Government of  
the Hong Kong Special Administrative Region People's  
of the Republic of China

Sd/-  
(Paul Chan Mo-Po)  
Finance Secretary Hong Kong

**PROTOCOL**

At the time of signing of the Agreement between the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (the "Agreement"), the two Governments have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement:

1. For the purposes of the Agreement, it is understood that in relation to the Hong Kong Special Administrative Region, the terms "ordinarily resides" and "normally managed or controlled" have the meaning they have under the law of the Hong Kong Special Administrative Region as amended from time to time without affecting the general principle thereof.

In addition to above, with reference to clause (i) of subparagraph (a) of paragraph 1 of Article 4 (Resident) of the Agreement, it is understood that an individual ordinarily resides in the Hong Kong Special Administrative Region if the individual has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the Hong Kong Special Administrative Region, and he has personal and economic relations with the Hong Kong Special Administrative Region.

- In addition to above, with reference to clauses (iii) and (iv) of subparagraph (a) of paragraph 1 of Article 4 (Resident) of the Agreement, it is understood that a company incorporated or any other person constituted outside the Hong Kong Special Administrative Region is normally managed or controlled in the Hong Kong Special Administrative Region if its executive officers and senior management employees make day-to-day key decisions in the Hong Kong Special Administrative Region for the strategic, financial and operational policies for the company or the person, and the staff of the company or the person conduct in the Hong Kong Special Administrative Region, the day-to-day activities necessary for making those decisions.
2. For the purposes of the Agreement, it is understood that in relation to the Hong Kong Special Administrative Region, the term “right of abode” has the meaning it has under the law of the Hong Kong Special Administrative Region as amended from time to time without affecting the general principle thereof.
  3. With reference to paragraph 5 of Article 2 (Taxes Covered) of the Agreement, it is understood that the term “penalty or interest” includes, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, any sum added to Hong Kong Special Administrative Region tax by reason of default and recovered therewith and “additional tax” under Section 82A of the Inland Revenue Ordinance (Chapter 112 of the Laws of Hong Kong).
  4. With reference to clause (i) of subparagraph (a) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) of the Agreement, it is understood that the term “any place where the tax laws of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China apply” refers to the land and sea comprised within the boundary of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, together with the Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area.
  5. With reference to Article 26 (Exchange of Information) of the Agreement, it is understood that:
    - (a) information exchanged shall not be disclosed to any third jurisdiction.
    - (b) the competent authority of India may disclose information to:
      - (i) Parliamentary Committees;
      - (ii) Special Investigation Team (SIT) constituted by Government; and (iii) any other oversight bodies mutually agreed upon in writing.
    - (c) the requested Contracting Party shall disclose any information that precedes the date on which the Agreement has effect for the taxes covered by the Agreement, insofar the information is foreseeably relevant for a fiscal year or taxable event following that date.
    - (d) in addition to the taxes covered by the Agreement, the provisions of this Article also apply to the following taxes that are administrated and enforced in India:
      - (i) the wealth tax;
      - (ii) the excise and customs duties;
      - (iii) the goods and services tax (GST); and
      - (iv) the sales and value added taxes.
  6. It is understood that the Contracting Parties may review the provisions of the Agreement at the request of either Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Hong Kong this 19th day of March 2018, in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of India  
  
Sd/-  
(Gautam Bambawale)  
Ambassador of India, Beijing

For the Government of  
the Hong Kong Special Administrative Region of the  
People’s Republic of China  
Sd/-  
(Paul Chan Mo-Po)  
Finance Secretary Hong Kong

[Notification No. 89/2018/F.No. 500/124/97-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.